कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

EXECUTIVE ENGINEER PHED PROJECT DIVISION I KOTA द्वारा ***BORABAS MANDANA WATER SUPPLY PROJECT KOTA (RAJASTHAN)*** के निर्माण कार्य हेतु कोटा जिले के वन मंडल कोटा टेरीटोरियल की 3.14 है0 एवं मुकुंदरा बाघ परियोजना की 0.86 है0 वन भूमि कुल 4.0 है0 वन क्षेत्र के अनारक्षण के लिए online पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/WATER/18810/2016 से दिनांक 27.5.2016 को रजिस्टर किया गया है। क्षैत्रीय कार्यलय लखनउ के पत्रांक 463 दिनांक 6.1.2017 से जारी आक्षेप के क्रम में मुख्य वन संरक्षक कोटा एवं मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, कोटा द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित सुधार कर ऑनलाईन भिजवाया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है :–

1. प्रस्ताव में मात्र उप वन संरक्षक कोटा द्वारा एन0पी0वी0 की गणना 4 है0 हेतु की गई है।जो उचित नही है एन0पी0वी0 की गणना निम्नानुसार कराई जानी प्रस्तावित है।

क्र0 सं0	उप वन संरक्षक का नाम	प्रस्तावित क्षैत्र जिसकी एन0पी0वी0 गणना की जानी है।	
		वन क्षैत्र (है0)	गैर वन क्षैत्र (है0)
1	उप वन संरक्षक कोटा	3.14	0
2	उप वन संरक्षक मुकुंदरा	0.86	0.76

2. उप वन संरक्षक कोटा द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण के मॉडल में श्रमिक दर (189/– से 201/–) होने के कारण नवीन मॉडल दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त एक शीट पर एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की राशि दिया जाना प्रस्तावित है।
3. डिजिटल मानचित्र में सभी 03 संरेखणों को दर्शाया गया है किन्तु विश्लेषण से उनका मिलान नही हो रहा है। अतः प्रस्तुत संरेखणों के अनुसार तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
4. प्रस्ताव में क्षैत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किये गये आक्षेप की हार्ड प्रति (2 सेट) दी जानी प्रस्तावित है।

उक्त बिन्दुओ की सूचना उप वन संरक्षक/प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर पर ली जानी अपेक्षित है। अतः सूचना भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक को निर्देशित किये जाने हेतु पत्रावली आदेशार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।